न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-72/2017/भीलवाड़ा(2017/00086)

1. सुरेश चन्द पुत्र स्व0 पन्नालाल,
2. जीवन प्रकाश पुत्र स्व0 पन्नालाल
   समस्त निवासी झाडोल, तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांटस

बनाम

1. साकरी पुत्री गणेश पत्नी शोभालाल जाट निवासी झाडोल, तहसील रायुपर, जिला भीलवाड़ा ।
2. बक्षुनाथ पुत्र सुवानाथ, निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 21.04.2017 प्रकरण संख्या 30/2016 .

उपस्थितः-

1. श्री ईश्वर देवडा, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पोंडेंट सं0 1 एवं 2 अनुपस्थित ।
3. राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 26.11.2019

अतिरिक्त सभागीय आयुक्त अजमेर

अपीलांटस ने यह अपील अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झाडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा में स्थित साबिक आराजी ख0नं0 1574 रकवा 1 वीघा 1 विस्वा संपूर्ण एवं साबिक आराजी नं0 1570 रकबा 2 विस्वा गै0मु0 कुआं में 1/4 हिस्सा तत्कालीन खातेदार गणेश पुत्र मोती जाट के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2044 से 2047 में दर्ज रिकार्ड था। गणेश पुत्र मोती जाट ने दिनांक 10.07.1978 को अपनी खातेदारी की उक्त

Scanned by CamScanner

आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बिल एवज रू0 2000/- में अपीलांटस को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तदउपरान्त से ही अपीलांटस का प्रश्नगत भूमि का काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण वह अपने प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नहीं करा सका। साबिक आराजी नं0 1574 के हाल नं0 1520 रकबा 0.23 है0 व साबिक नं0 1570 के हाल आराजी नं0 1519 रकबा 0.02 है0 बने। जो तत्कालीन खातेदार की मृत्यु के उपरान्त विरासत में नामान्तरकरण गोपी पुत्र गणेश के नाम पर दर्ज हुआ व उसके देहान्त पश्चात रेस्पो0 सं0 1 साकरी ने प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसकी आड़ में प्रश्नगत भूमि विक्रय बाबत आमादा होने पर अपीलांटस ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के समक्ष पेश किया जो वाद संख्या 67/2004 दर्ज होकर उपखण्ड अधिकारी ने बाद सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 द्वारा वाद अपीलांटस डिक्री करते हुए प्रश्नगत भूमि का खातेदार घोषित कर दिया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1092 दिनांक 10.08.2016 अपीलांटस के पक्ष में स्वीकृत किया गया। xx

2- विचाराधीन वाद रेस्पो0 सं0 1 साकरी ने अपीलांटस द्वारा किए गए वाद बाबत संपूर्ण जानकारी होने के उपरांत भी प्रश्नगत भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम का लाभ उठाते हुए दिनांक 06.05.2016 को उक्त आराजीयात रेस्पो0 सं0 2 बक्षुनाथ पुत्र सुवानाथ को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पां0 सं0 2 द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने बाबत कार्यवाही किये जाने पर पटवारी हलका द्वारा दिनांक 11.05.2016 को नामान्तरकरण संख्या 1055 भरकर तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तहसीलदार, रायपुर ने पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 23.05.2016 को नामान्तरकण रेस्पो0 सं0 2 के पक्ष में तस्दीक कर दिया। उक्त प्रश्नगत भूम बाबत वाद विचाराधीन होने एवं उक्त वाद में प्रश्नगत भूमि को रहन, बय, मुंतकिल नहीं करने व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत स्थगन होने की जानकारी होने पर तहसीलदार, रायपुर ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 23.05.2016 में पुनश्चः कर यह वर्णित करते हुए कि स्थगन होने पर भी विक्रय हुआ है व नामान्तरकरण तस्दीक किया, जो भूलवश हुआ है अतः नामान्तरकरण खारिज किया जाता है। अपने आदेश दिनांक 10.06.2016 को नामान्तरकरण संख्या 1055 निरस्त कर दिया। xx

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

3- तहसीलदार, रायपुर के दिनांक 10.06.2016 नामान्तरकरण संख्या 1055 के विरूद्ध रेस्पो0 सं0 2 ने अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत भूमि उसके द्वारा दिनांक 05.06.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1055 भी स्वीकृत किया गया किन्तु बिना उन्हें सूचित किये तहसीलदार, रायपुर ने दिनांक 10.06.2016 को स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। न्यायालय के स्थगन आदेश को रेस्पो0

Scanned by CamScanner

सं0 2 के पक्ष में नामान्तरकरण खुलने के बाद पेश किया गया। वरवक्त क्रय दिनांक 06.05.2016 को तहसीलदार, रायपुर के समक्ष कोई स्थगन आदेश नहीं था ना ही ऐसे किसी स्थगन आदेश की पटवारी हल्का द्वारा कोई जानकारी दी गई। उपखण्ड अधिकारी, रायपुर ने नामान्तरकरण संख्या 1055 को निरस्त करने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। तहसीलदार का आदेश पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, उक्त समस्त आधारों पर नामान्तरकरण संख्या 1055 दिनांक 10.06.2016 में पारित आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। जिसमें अपीलांटस को पक्षकार नहीं बनाया गया। अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा ने रेस्पो0 सं0 2 की एक पक्षीय बहस सुनने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 21.04.2017 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 को विधि विरूद्ध होने से खारिज कर दिया एवं नामान्तरकरण संख्या 1055 दिनांक 23.05.2016 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित कर दिया। इसलिए अपीलांटस द्वारा अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 21.04.2017 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। xx

4- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट के अनुपस्थित रहने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस सुनी गई । xx

5- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना एवं साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.04.2017 को पारित किया है जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित होते है क्योंकि अपीलाधीन आदेश में अंकित आराजियात प्रार्थी की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रयशुदा आराजियात है। उपखण्ड अधिकारी, रायपुर खातेदारी घोषणा वाद में दिनांक 20.06.2016 को डिक्री किया गया जिसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण बतोर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार होने से उसे सुना जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.04.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे । xx

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

6- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन आदेश की जानकारी निर्णय दिनांक को नही हो सकी थी । अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब राजस्व रेकार्ड की नकल लेने पर पटवारी द्वारा दी गयी जिस पर प्रार्थी ने निर्णय नकल हेतु आवेदन किया जो प्राप्त होने पर अभिभाषक से सम्पर्क किया जिस पर नामा0सं0 1055 की नकल लाने हेतु निर्देशित किया गया तदउपरांत प्रार्थीगण नकल लेकन पुनः अभिभाषक से मिले व अविलम्ब अपील तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील में हुआ विलंब

Scanned by CamScanner

सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

7- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 (अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा) द्वारा आदेश दिनांक 21.04.2017 न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरूद्ध है। अधि0न्याया0 ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रावधित प्रावधानों एवं रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य को पूर्णतया दरकिनार करते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह विधि विरूद्ध है। अधि0न्याया0 ने इस महतवपूर्ण बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि उनके समक्ष नामान्तरकरण में दर्ज तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.06.2016 से यह पूर्णतया विदित था कि प्रश्नगत भूमि बाबत वाद विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि पर स्थगन आदेश दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय का सर्वप्रथम यह विधिक दायित्व था कि वह रेस्पो0 सं0 2 बक्षुनाथ अपीलांट से प्रश्नगत भूमि बाबत विचाराधीन वाद की जानकारी करते परन्तु अधि0न्याया0 ने प्रश्नगत भूमि बाबत विचाराधीन वाद एवं स्थगन आदेश बाबत बिना कोई जानकारी किए सरसरी तौर पर ही रेस्पो0सं0 2 की अपील स्वीकार करते हुए जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 10.7.2015 को अपास्त किया जावे । xx

8- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधि0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि प्रश्नगत भूमि के मूल खातेदार रेस्पों0सं0 1 के पिता गणेशलाल द्वारा प्रश्नगत भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1978 को अपीलांटस को विक्रय कर कब्जा सुपुदर्ज कर दिया था। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि बाबत गणेशलाल व उनके वारिसान के प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहते है एवं ना ही उन्हें भूमि हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार था। उक्त उपरान्त भी गणेश लाल के वारिसान द्वारा प्रश्नगत भूमि का राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात का लाभ उठाते हुए प्रश्नगत भूमि का विक्रय रेस्पो0सं0 बक्षुनाथ को किया गया जो पश्चातवर्ती विक्रय की श्रेणी में आता है। कानूनन ऐसे पश्चातवर्ती विक्रय पत्र को शून्य माना गया है एवं पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार केता को प्राप्त नहीं होते है परन्तु अधि0न्याया0 द्वारा उक्त समस्त स्थिति को जानने का प्रसास किए बिना ही सरसरी तौर पर जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध है। अधि0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजर अन्दाज कर दिया कि तथाकथित प्श्चातवर्ती विक्रय पत्र से नामा0 तस्दीक करने के उपरांत तहसीलदार, रायपुर की जानकारी में प्रश्नगत भूमि बाबत वाद विचाराधीन होने व प्रश्नगत भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी होने की जानकारी होने पर स्वमोटो अपने आदेश को रिव्यु किया जो उनके क्षेत्राधिकार में था। अधि0न्याया0 का यह विधिक दायित्व था कि वह

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार द्वारा अपने रिव्यु आदेश में दिये गए कारण बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकार, रायपुर में विचाराधीन प्र0सं0 102/2014 की जानकारी करते तथा उक्त विचाराधीन वाद प्रकरण में पारित आदेश का प्रश्नगत भूमि से क्या संबंध है, के संदर्भ में आवश्यक जानकारी उपरांत ही निर्णय पारित करते किन्तु अधि0न्याया0 द्वारा उक्त समस्त बिन्दुओं बाबत बिना कोई जांच एवं जानकारी किये सरसरी तौर पर ही निर्णय पारित कर दिया। अधि0न्याया0 ने इस विधिक स्थिति को भी नजर अन्दाज कर दिया कि नामान्तरकरण एक समरी कार्यवाही है, जिसे वाद विचाराधीनता के दौरान कानूनन स्थगित किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि बाबत नियमित वाद में हुए निर्णय के आधार पर ही पक्षकारान के हक व अधिकार तय किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अधि0न्याया को प्रस्तुत अपीलीय कार्यवाही को विचाराधीन वाद के निर्णय तक कानूनन स्थगित रखा जाना चाहिये था परन्तु अधि0न्याया0 उक्त स्थति को पूर्णतया दरकिनार करते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेंटस द्वारा न तो रजिस्टर्ड विकय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है और ना ही जो उपखण्ड अधिकारी, रायपुर द्वारा दावे में पारित डिक्री की अपील ही की गई है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 10.7.2015 को अपास्त किया जावे । xx

9- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 को निर्णित करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में जो कथन अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है क्योंकि अपीलांटस ने विवादित आराजियात अपीलांट ने वर्ष 1978 में जरिये पंजीकृत विकय पत्र के कय कर कब्जा प्राप्त किया है एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत खातेदारी घोषणा वाद में उपखण्ड अधिकारी, रायपुर द्वारा दिनांक 20.06.2016 को डिक्री किया गया है। जिसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज थे। इसलिये अपीलांट को सुना जाना आवश्यक था, इसके बावजूद अधी0न्याया0 में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने तथ्य छिपाकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जिससे अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रकट होता है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.04.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है । xx

10- प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है क्योंकि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थे जिससे उन्हें अपीलाधीन निर्णय की प्रारंभ से जानकारी होना नहीं माना जा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है । xx

11- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन किया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned by CamScanner

अपीलांटस का मुख्य-मुख्य कथन यह है कि ग्राम झाडौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा में स्थित साबिक आराजी ख0नं0 1574 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा संपूर्ण एवं साबिक आराजी नं0 1570 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0 कुआं में 1/4 हिस्सा तत्कालीन खातेदार गणेश पुत्र मोती जाट के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2044 से 2047 में दर्ज रिकार्ड था। गणेश पुत्र मोती जाट ने दिनांक 10.07.1978 को अपनी खातेदारी की उक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बिल एवज रू0 2000/- में अपीलांटस को विकय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। अपीलांटस नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण वह अपने प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नहीं करा सका। साबिक आराजी नं0 1574 के हाल नं0 1520 रकबा 0.23 है0 व साबिक नं0 1570 के हाल आराजी नं0 1519 रकबा 0.02 है0 बने। जो तत्कालीन खातेदार की मृत्यु के उपरान्त विरासत में नामान्तरकरण गोपी पुत्र गणेश के नाम पर दर्ज हुआ व उसके देहान्त पश्चात रेस्पो0 सं0 1 साकरी ने प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसकी आड में प्रश्नगत भूमि विक्रय बाबत आमादा होने पर अपीलांटस ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के समक्ष पेश किया जो वाद संख्या 67/2004 दर्ज होकर उपखण्ड अधिकारी ने बाद सुनवाई अपने निर्णय व डिकी दिनांक 20.06.2016 द्वारा वाद अपीलांटस डिकी करते हुए प्रश्नगत भूमि का खातेदार घोषित कर दिया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1092 दिनांक 10.08.2016 अपीलांटस के पक्ष में स्वीकृत किया गया किन्तु दौराने वाद निर्णय रेस्पो0सं0 1 साकरी ने दिनांक 06.05.2016 को रेस्पों0 सं0 2 बक्षुनाथ को विक्रय कर दी। तहसीलदार, रायपुर ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 23.05.2016 को रेस्पो0 सं0 2 के पक्ष में नामा0सं0 1055 तस्दीक कर दिया। तहसीलदार, रायपुर ने दिनांक 10.06.2016 को पुनश्चः कर उपखण्ड अधिकारी, रायपुर में विचाराधीन वाद में स्थगन होने के कारण नामा0सं0 1055 खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध रेस्पो0सं0 2 ने अधि0न्याया0 (अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा) के यह अपील प्रस्तुत की। अधि0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 21.04.2017 में अपील स्वीकार कर तहसीलदार, रायपुर द्वारा नामा0 सं0 1055 दिनांक 10.06.2016 को विधि विरूद्ध मानते हुए खारिज किया एवं दिनांक 23.05.2016 को तस्दीक किया गया नामा0 सं0 1055 को यथावत रखा। रेस्पो0 सं0 1 साकरी को संपूर्ण जानकारी थी कि उक्त विवादित आराजी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के न्यायालय में वाद सं0 67/2014 अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 विचाराधीन है। अधि0 अपीलीय न्याया0 के यह तथ्य जानकारी में नहीं आने के कारण अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । चूंकि नामान्तरकरण एक फिक्सल कार्यवाही है और नियमित वाद में हक व अधिकारों का निस्तारण हो जाने से नामान्तरकरण की कार्यवाही स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 10.07.2015 निरस्त योग्य पाया जाता है । xx

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 72/2017 (2017/00086) बउनवानी सुरेश चन्द व अन्य बनाम साकरी व अन्य को स्वीकार किया जाता है तथा अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 30/2016 बउनवान बक्षुनाथ बनाम साकरी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2017 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2019.11.28 11:56:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: